



प्रेषक,

अरविन्द सिंह,

उप सचिव

उOप्रO शासन।

सेवा में,

आयुक्त,

राज्य कर,

उOप्रO, लखनऊ।

राज्य कर अनुभाग-4

लखनऊ : दिनांक 12 जनवरी, 2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 में लघु निर्माण कार्य मद के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-सOनिO-गोरखपुर-प्रOतल-अधिOकक्ष निर्माण/2025-26/916/राज्य कर, दिनांक 10.11.2025, पत्र संख्या-सOनिO-गोरखपुर-द्वितीय तल-अधिOकक्ष निर्माण/2025-26/918/राज्य कर, दिनांक 10.11.2025 एवं पत्र संख्या-सOनिO-गोरखपुर-प्रतीक्षालय कक्ष निर्माण/2025-26/917/राज्य कर, दिनांक 10.11.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद-गोरखपुर में राज्य कर कार्यालय के कार्यालय भवन में निम्नलिखित विवरण के अनुसार कुल 03 पृथक-पृथक लघु निर्माण कार्यों को कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-89 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4059-01-051-31-सहायता केन्द्र/विभागीय कार्यालय भवनों/आवासीय भवनों में लघु निर्माण कार्य के मानक मद 25-लघु निर्माण कार्य प्रावधानित बजट रु0 100.00 लाख के सापेक्ष कुल रु0 5.87 लाख की धनराशि व्यय किये जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है-

क्रO	कार्य का नाम	कार्यदायी संस्था	आगणित धनराशि (रु0 लाख में)
1	जनपद-गोरखपुर में राज्य कर कार्यालय भवन के द्वितीय तल पर आगंतुक कक्ष/प्रतीक्षालय कक्ष का निर्माण कार्य।	ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड- गोरखपुर	2.00
2	जनपद-गोरखपुर में राज्य कर कार्यालय भवन के प्रथम तल पर 02 अधिकारी कक्ष का निर्माण कार्य।	ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड- गोरखपुर	1.91
3	जनपद-गोरखपुर में राज्य कर कार्यालय भवन के द्वितीय तल पर 02 अधिकारी कक्ष का निर्माण कार्य।	ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड- गोरखपुर	1.96
योग-			5.87

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2- उल्लेखनीय है कि वित्त (लेखा) अनुभाग-2, 30प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-ए-2-1092/दस-2011-24(7)-95 दिनांक 25.11.2011 के विवरण पत्र-XVIII- ठेके और टेण्डर के अन्तर्गत प्रस्तर-1(क) "निर्माण कार्य (मूल कार्य) के आगणनों की स्वीकृति प्रदान किये जाने एवं कार्य करना" शीर्षक के अन्तर्गत आय-व्ययक प्राविधानों के अन्तर्गत प्रत्येक मामले में ₹0 20.00 लाख तक के आगणनों की स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार विभागाध्यक्ष को प्रदान किये गये हैं, बशर्ते कि बजट उपलब्ध हो। ₹0 5.00 लाख तक के कार्य स्वयं तथा उससे अधिक के कार्य राजकीय कार्यदायी विभाग/निर्माण एजेन्सी से कराये जायेंगे। फाइनेंसियल हैण्ड बुक के वॉल्यूम-V, PART-1 Chapter-2 के संलग्नक (List of Head of Departments) में आयुक्त, राज्य कर, 30प्र0 (तत्समय सेल टैक्स) सम्मिलित हैं।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-89 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4059-01-051-31-सहायता केन्द्र/विभागीय कार्यालय भवनों/आवासीय भवनों में लघु निर्माण कार्य के मानक मद 25-लघु निर्माण कार्य में प्रावधानित ₹0 100.00 लाख (रुपये एक करोड़ मात्र) की धनराशि राशि आयुक्त, राज्य कर, 30प्र0, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

नियम व शर्तों/प्रतिबंधों-

1. वित्त (लेखा) अनुभाग-2, 30प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-ए-2-1092/दस-2011-24(7)-95 दिनांक 25.11.2011 (यथा संशोधित) तथा फाइनेंसियल हैण्ड बुक में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मानक मद 25-लघु निर्माण कार्य में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष प्रश्नगत कार्य एवं अन्य लघु निर्माण कार्य के सम्बन्ध में स्वस्तर से अग्रेतर कार्यवाही कराएं।
2. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों के अन्तर्गत कार्य पूर्ण किये जाने की जिम्मेदारी आयुक्त, राज्य कर, 30प्र0 लखनऊ/सम्बंधित क्षेत्रीय राज्य कर कार्यालय के शीर्ष अधिकारी की होगी।
3. आयुक्त, राज्य कर, 30प्र0 लखनऊ/सम्बंधित क्षेत्रीय राज्य कर कार्यालय के शीर्ष अधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्य की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) न हो।
4. अवमुक्त की जा रही धनराशि आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा तथा अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 089 लेखा शीर्षक 4059010513100-सहायता केन्द्र/विभागीय कार्यालय भवनों/आवासीय भवनों में लघु निर्माण कार्य का मानक मद 25-लघु निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अरविन्द सिंह

उप सचिव।

संख्या व दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. एडीशनल कमिश्नर(लेखा), राज्य कर, 30प्र0, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/ वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1, 30प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अरविन्द सिंह

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।